न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/ 76)

परमिन्द्र सिंह उर्फ प्रमेन्द्र सिह पुत्र बंसत सिह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 4 मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. बसंत सिह पुत्र हिम्मत सिंह
3. मनेन्द्र सिंह पुत्र बसंत सिंह
दोनो जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 4 मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राकेश कुमार रंगा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3

निर्णय **दिनांकः 09.12.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ अपील सं. 10/2022 के निर्णय दिनांक 30.04.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट परमिन्द्र सिंह ने इन्तकाल सं. 810 दिनांक 14.07.2020 के विरूद्ध अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को निरस्त कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2024 द्वारा अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 30.04.2024 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 14.07.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28.12.2005 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं एवं लिखित बहस में कथन किया कि रोही मौजा चक 13 एएमपी तहसील संगरिया के खाता नं. 75/53 पत्थर नं. 148/163 में 4.554 हैक्टर में खातेदारी बलवीर कौर पत्नी हिम्मत सिह के नाम चली आ रही थी। खातेदारी बलवीर कौर द्वारा जिसकी एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28.12.2005 को उप पंजीयक संगरिया के समक्ष अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में पंजीकृत करवाई, खातेदार बलवीर कौर पत्नी हिम्मत सिह की मृत्यु दिनांक 22.12.2015 को होने के बाद वसीयत प्रभाव में आई। अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज कर दिया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.07.2020 को केवल हल्का पटवारी से रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 810 आदेश पारित किया गया जबकि खातेदार अपने हक हिस्से की भूमि की वसीयत निष्पादित कर सकता है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा सिविल न्यायालय से प्रोबेट अथवा राजस्व वाद के माध्यम से अधिकारो की घोषणा की कार्यवाही करनी चाहिए के बाबत कथन किया जबकि राजस्थान में प्रोबेट के प्रावधान लागू नही है, जब वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के प्रावधान है तो राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय मे कार्यवाही करने का कतई औचित्य नही है। इंतकाल संख्या 810 दिनांक 14.07.2020 जो स्वीकृत किया गया वह विरासतन इंतकाल दर्ज किया गया था। जबकि विवादित सम्पत्ति की वसीयत अपीलार्थी व उसके भाई के हक में अपीलार्थी की दादी द्वारा निष्पादित की गयी थी, जिसे दर्ज किये जाने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया गया और ना ही अखबार में कोई सूचना प्रकाशित की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य का विवेचन नही कर केवल मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज कर दिया। दिनांक 14.07.2020 को नामान्तरकरण दर्ज हुआ जिसे निरस्त करवाने की अपील दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

15.02.2022 को प्रस्तुत की गयी, उक्त अवधि कोरोना काल की अवधि थी। कोराना के समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने मियाद के बिन्दु को स्वय संज्ञान में लेकर फरवरी 2022 से 90 दिवस तक के लिए सभी प्रकार के मामलो में मियाद को बढाया गया था, जिसके लिए आवेदन दिया जाना भी आवश्यक नही था। इसी बिन्दु को माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.रिट पिटिशन नं. 19501/2024 भगवानाराम बनाम भंवरलाल दिनांक 07.07.2025 में भी लिखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल तथ्यो को ध्यान में रखकर उक्त आदेश पारित किया है जबकि तथ्य साक्ष्य के मोहताज होते है। कानूनी बिन्दु भी साक्ष्य के आधार पर ही तय किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कथन अपने न्यायिक दृष्टान्त 2025 (2) डी एन जे (एस सी) 608 में भी लिखा है। रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो में लिखा है कि पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया है जिसे रेस्पोडेन्ट न्यायालय के समक्ष सही मान रहे है वही दुसरी और अपर जिला न्यायाधीश संगरिया मे अपील सं. 17/2024 मे जबरन लिखवाकर हस्ताक्षर करवाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश साक्ष्य के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु दिया जाना न्योचित होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 30.04.2024 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 14.07.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 28.12.2005 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे तथा पत्रावली को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को सुनवायी हेतु भेजे जाने एवं साक्ष्य के आधार पर तय किये जाने का आदेश फरमावे तब तक मौके व राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति के भी आदेश फरमावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.रिट पिटिशन नं. 19501/2024 भगवानाराम बनाम भंवरलाल दिनांक 07.07.2025 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 के विद्वान अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद एंव लिखित बहस में कथन किया कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में अपील मियाद बाहर पेश की गई थी, इन्तकाल सं. 810 दिनांक 14.07.2020 के विरूद्व दिनांक 15.02.2022 को पेश की गयी जो स्पष्टतम मियाद बाहर थी, क्योकि यहा अवधि 30 दिन की ही होती है। दरख्वास्त दफा 5 में यह भी लिखते है कि वसीयत के सम्बन्ध में कुछ रोज पूर्व रिश्तेदारो द्वारा जानकारी दिये जाने वसीयत की जानकारी हुयी। यहां पर यह नही बताया कि किस रिश्तेदार से किस दिनांक को जानकारी हुयी स्पष्ट नही किया गया है। यहा जो अपील पेश की गयी है, उसमे अपील मीमो के पैरा संख्या 8 में मियाद बाबत दिनांक 14.07.2020 तक कोरोना काल की अवधि तक छूट बताते है जबकि नीचे अपील दिनांक 15.02.2022 को पेश की गयी है जो मियाद बाहर थी। जगह जगह मियाद बाबत विरोधाभाष स्पष्ट झलकता है। चूंकि उक्त मुद्दा अधीनस्थ न्यायालय मे नही उठाया गया या उसे अब इस अपील में नही उठाया जा सकता है। अपीलान्ट ने मियाद की छूट दिये जाने बाबत जो आधार बताये है वे वेग है, देरी को कन्डोन नही किया जा सकता है। उन्होने लिखित बहस में अंकित किया कि बलवीर कौर की मृत्यु दिनांक 22.12.2015 को हो गई व वसीयत जो की गयी वह 28.12.2005 को हुयी व इन्तकाल सं. 810 दिनांक 14.07.2020 को हुआ, तब इतने दिनो तक अपीलान्ट इस वसीयत को क्यो छुपाये रखा। पश्चात् नीचे जो अपील की अदालत मातहत के फैसले दिनांक 30.04.2024 का अवलोकन करेगे तो पायेगे कि इस फेसले में मियाद बाबत विस्तृत विवेचना की जाकर इस बाबत प्रार्थी ने जो मियाद बाबत वेग दरख्वास्त की मार्फत अलग अलग जानकारिया बताता है, जिस पर विश्वास ना कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की तरफ से पेश की गयी नजीरो के परिप्रेक्ष्य में ही मियाद का फायदा ना देकर अपील खारिज की गयी है, यहा अप्रार्थी यह स्पष्ट करना चाहेगा कि अपीलान्ट का भाई मनेन्द्र सिह जो अपील में अप्रार्थी नं. 3 है को इन्तकाल 810 के बाबत कोई एतराज नही है, वेसे भी दोनो भाई मेरे साथ ही रहते आये है, लेकिन अपीलान्ट की शादी किये जाने के बाद ससुराल पक्ष के बहकावे में आकर यह सब कार्यवाही की जा रही है। अपीलान्ट अपने अपील के पैरा संख्या 5 में यह लिखता है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कि अदालत मातहत ने सिविल न्यायालय से प्रोबेट अथवा राजस्व वाद के माध्यम से अपने अधिकारो की घोषणा करवानी चाहिये थी। इस प्रकार का कोई आदेश निचली अदालत की तरफ से नही दिया गया अपितु मुझ अप्रार्थी ने अपनी बहस से यह मुद्दा उठाया था, ऐसा कर प्रार्थी मान्यवर के समक्ष झूठ का सहारा लेना चाहता है जो अनुचित है। अपीलान्ट उक्त विवादित जमीन पर दादी बलवीर कौर के जीवन काल से ही अपना कब्जा काश्त बता रहा है जो बिल्कूल ही गलत कथन है। इसी प्रकार दूसरी तरफ मान्यवर के समक्ष निवेदन करते समय पेज नं. 2 के (अ) में वसीयत लिखते हुए अपने आपको नाबालिग बता रहे है, तब पैरा संख्या 6 में दादी के जीवन काल से अपना कब्जा बताना झूठ के सिवा और क्या हो सकता है। तहसीलदार के तरफ से इन्तकाल सं. 810 दिनांक 14.07.2020 को किया है यह समस्त कागजात का अवलोकन करने के पश्चात् किया है, अपीलान्ट ने जानबूझकर इस वसीयत को क्यो छुपाकर रखा वो तो यही जाने लेकिन इन्तकाल सही था, अपीलान्ट ने दिनांक 06.08.2022 को मेरे खिलाफ भा.द.सं. की विभिन्न धाराओ के तहत मुकदमा दायर किया फिर (पिता) मुझ अप्रार्थी से दिनांक 16.08.2022 को राजीनामा कर इसे वापिस ले लिया। दिनांक 12.09.2020 को घरेलू बंटवारा बाबत् शपथ पत्र दिया जिसके तहत इसको शादी मे मिले 20 लाख 21 हजार रूपये इसे दे दिये गये व अप्रार्थी संख्या 2 के पास 105 बीधा जमीन मे से 35–35–35 बीधा आपस मे बांट ली गयी जो मेरे नाम से थी व पुश्तैनी मकान का हिस्सा भी प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र दिया व शपथ पत्र पिता ने भी उपरोक्त बाबत 12.09.2020 को दिया जिस पर अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट सं.उ 2 व 3 के हस्ताक्षर है। अपील मुझ अप्रार्थी (पिता) का जो कि एक वृद्व व्यक्ति है, को तंग व परेशान कर रहा है जबकि ये सारी जायजाद चल व अचल इन दोनो भाईयो को ही मिलनी है ये सब कार्यवाही ससुराल के बहकावे मे आकर की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 सही है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1989 पेज 500, RRD 1978 पेज 432, RRD

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1991 पेज 164, RRD 1989 पेज 668, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.04.2024 व नामान्तरकरण संख्या 810 दिनांक 14.07.2020 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2024 व नामान्तरकरण संख्या 810 दिनांक 14.07.2020 को खारिज कर वसीयत दिनांक 28.12.2005 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश देने का निवेदन गया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा केवल मियाद बिन्दु पर निर्णय पारित करते हुए अपील को मियाद अवधि से बाहर होने से खारिज कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में मियाद के साथ गुणावगुण पर भी निर्णय पारित करना चाहिए था। इस प्रकार अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय 30.04.2024 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर की अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर